श्री उ० म० त्रिवेदी]

महिला का हम एक भी कानून देने के लिये तैयार नहीं हैं। श्रभी तक उस के विवाह के सम्बन्ध में कोई कानून बनाने के लिये तैयार नहीं उस को कोई हक देने के लिये तैयार नहीं। समुर जिन्दा है, मर्द मर जाता है तो उस की येवा के वास्ते कोई चारा नहीं है मुसलिम ला में। उस को फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। उस के पास इस के श्रलावा कोई तरीका नहीं है कि या तो वह भीख मांगें या दूसरी शादी कर ले। उम के वास्ते क्यों कानून नहीं वनाया जाता है। क्यों हम इर रहे हैं कि फलाना श्रादमी। या दिकाना श्रादमी नाराज हो जायेगा।

अन्त मे मैं दो वाक्य भ्रौर कहना चाहता हूं भाषा नीति के सम्बन्ध में । हिम को यह भी ध्यान रखना चाहिये कि हैहम ने ज तक संस्कृत को प्रोत्साहन देने के वास्ते जो कोशिण करनी चाहिये थी, वह नहीं की । इजराइल ने मरी हुई भाषा हिम्न को जिन्दा कर के सारे मुल्क में फैला दिया लेकिन हम संस्कृत को नहीं फैला सकते । इसी तरह से सिश्चियों की भाषा सिधी है । सिधी लोग हमारे वास्ते मर गये. सिध के हम ने टुकड़े किये, उन को यहां बुलाया, लेकिन उन की भाषा को हम ने अभी तक कोई प्रोत्साहन नहीं दिया । इस की ग्रोर तवज्जह देने के लिये इसम्रभिभाषण में कोई बात नहीं कही गई है । यह वड़े दुर्भाग्य की बात है।

इन शब्दों के साथ जो प्रस्ताव श्री हैडा साहब ने रक्खा है उस का मुझे दिलसोजी के साथ श्रनमोदन तो करना है होगा।

14.29 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILL AND RESOLUTIONS

Fifty-fifth Report

Shri A. S. Alva (Mangalore): Sir, I beg to move:

"That this House agrees with the Fifty-fifth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 18th February, 1965."

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That this House agrees with the Fifty-fifth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 18th February, 1965."

The motion was adopted.

14.30 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT)
BILL*

(Amendment of Article 368)

श्री बन्नापाल सिंह (कराना): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए।

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

भी यज्ञापाल सिंह : मैं उक्त विधयक को पेश करता हूं।

^{*}Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 19-2-65.